रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092023-248643 CG-DL-E-11092023-248643

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521] No. 521] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 2023/भाद्र 20, 1945 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023/BHADRA 20, 1945

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2023

सा.का.िन. 662(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (2) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में नियम 39 के उप-नियम (1) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:
- (ग) सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात तथा मृत्यु की तारीख को यदि वह पेंशन या अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा हो, मृतक का कुटुंब उस कुटुंब पेंशन का हकदार होगा जिसकी रकम का अवधारण वेतन के 30 प्रतिशत तथा भत्तों के 30 प्रतिशत के एक समान दर पर भविष्य निधि में अंशदान के लिए गणना की जाती है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं की 5764 GI/2023

जाती है और किसी भी दशा में, कुटुंब पेंशन बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

(3) मूल नियम में परिशिष्ट 5 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एस-11013/47/2016-बीमा-I]

मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (i) में सा.का.िन. सं.525(अ), तारीख 28 जून 1995 के द्वारा प्रकाशित हुए थे और सा.का.िन. सं.554(अ), तारीख 26 जुलाई 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2023

- **G.S.R.** 662(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Employees') Pension Rules, 1995, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Employees') Pension (Second Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Life Insurance Corporation of India (Employees') Pension Rules, 1995 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 39, in sub-rule (1), for clause (c), the following shall be substituted, namely: -
- (c) after retirement from service and was on the date of death in receipt of a pension, or compassionate allowance, the family of the deceased shall be entitled to family pension, the amount of which shall be determined at a uniform rate of thirty per cent of pay plus thirty per cent of allowances which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, and in no case the family pension shall be less than the amount of minimum family pension determined by the Board from time to time".
- **3.** In the principal rules, Appendix V shall be omitted.

[F. No. S-11013/47/2016-Ins.I]

MUKESH KUMAR BANSAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were pexezublished in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 525(E), dated the 28th June 1995 and lastly amended *vide* number G.S.R. 554 (E) dated the 26th July, 2023.